

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं


क्रमांक-एफ.15(3)()विधि/विविध/आईसीडीएस/2017-18/25436-782 जयपुर, दिनांक: 6/2/18

प्रभारी अधिकारी (वाद) एवं
समस्त उपनिदेशक, मबावि/
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषय:- दिनांक 10.02.2018 को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत नोडल अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, विधि का पत्र दिनांक 25.01.2018 की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिनांक 10.02.2018 को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यदि आपके कार्यालय से संबंधित प्रकरण निस्तारण हेतु लोक अदालत में रखा गया है तो संबंधित प्रकरण की पत्रावली मय पूर्ण दस्तावेज सहित आज ही आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं से सम्पर्क कर तथा लोक अदालत में उपस्थित रहकर आवश्यक सहयोग करे। उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.15(3)()विधि/विविध/आईसीडीएस/2017-18/25783-788 जयपुर, दिनांक: 6/2/18
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं।
4. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप नियत दिनांक को साथ रहकर आवश्यक सहयोग करे।
5. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक जोधपुर को भेजकर लेख है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में नियत दिनांक को साथ रहकर सूचीबद्ध प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिवक्ता व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक आगामी कार्यवाही करावे।
6. एसीपी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।


अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर